संख्या-39/2021/711/22-2-2021-17(898)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद- एटा वर्तमान जनपद-कासगंज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2947/प्रोबे0(2)-219/ना0रो0/2021, दिनांक 05-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार जो निवासी-अलैइयापुर, थाना-राजा का रामपुर वर्तमान पटियाली जनपद-एटा वर्तमान कासगंज का रहने वाला है। पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 11.10.1998 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, एटा के आदेश दिनांक 25.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.01.2021 तक 15 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 18.01.2021 तक 60 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक, कासगंज ने बन्दी द्वारा कारित अपराध सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करने, मुक्त होने की दशा में कोई अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, रिहा होने पर समाज पर विपरीत प्रभाव पडने तथा घटना की पुनरावृत्ति की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया है तथा जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावनाओ से इन्कार नहीं किये जाने, किसी भी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, रिहा होने पर समाज पर विपरीत प्रभाव पडने तथा घटना की पुनरावृत्ति की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 07.11.2019 द्वारा अभिमत में अंकित किया गया है कि "सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार का विचारण अथवा उसकी दोषसिद्धि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नहीं की गयी है, न ही अभियुक्त अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कभी उपस्थित हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्त के आचरण के बारे में अधोहस्ताक्षरी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त शिवकिशोर के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई भी अभिमत दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यदि आपके एवं प्रशासन के स्तर से संयुक्त रूप से विधिनुसार कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसमें अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।"

2- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-9336/2017 के अन्तर्गत मिसलेनियश अप्लीकेशन संख्या-1757/2020 शिवकिशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.01.2021 के अनुपालन में सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में उपर्युक्त समग्र तथ्यों पर सम्यक् विचार किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 18.01.2021 तक 15 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी जा चुकी है और बंदी की आयु लगभग 60 वर्ष है। बंदी की जेल में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निरूद्धि के दौरान आचरण सुधारात्मक रहा है और बंदी द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

समिति द्वारा बंदी द्वारा भोगी गयी सजा, बंदी की आयु, सन्तोषजनक जेल आचरण एवं कारागार में निरूद्धि के दौरान किसी प्रकार का अपराध कारित न किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा इत्यादि समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचार करते हुए सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- प्रकरण में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या में यह उल्लिखित है कि बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध किया गया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है एवं बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, बन्दी के समयपूर्व रिहा होने पर समाज में विपरीत प्रभाव पडेगा तथा घटना की पुनरावृत्ति की सभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, के आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई स्वीकृत किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

4- अत: विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-9336/2017 के अन्तर्गत मिसलेनियश अप्लीकेशन संख्या-1757/2020 शिवकिशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2021 के परिपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर (बन्दी संख्या-19504) पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-39/2021/711(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- श्री शशांक शेखर सिंह, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, पता-चेम्बर नं0-112, शीतलवाड लायर्स चेम्बर, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 16.02.2021 के क्रम में।
3- सहायक निबन्धक, (SEC-II), मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-12552/2020(SEC-II), दिनांक 08.01.2021 के संदर्भ में।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in